## नेशनल लोक अदालत दिनांक : 08/07/2017

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी आदेश सहित श्री आर.सी.यादव अधि.। फरियादी/आवेदक आकाश यादव पुत्र रामरथ यादव सहित श्री जगदीश राणा अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में राजीनामा प्रस्तुति हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी आकाश यादव पुत्र रामरथ यादव, निवासी :— ग्राम सलमपुरा मौ, थाना :— मौ, जिला—भिण्ड ने उसके अधिवक्ता श्री जगदीश राणा के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी / आवेदक आकाश ने उसके अधिवक्ता श्री जगदीश राणा के साथ उपस्थित होकर अभियुक्त पर लगे धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 ''02'' द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

फरियादी / आहत आकाश अभियोजित अपराध की धारा 294, 323 एवं 506 भाग ।। भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री जगदीश राणा अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजित की धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। भा.द.सं.

के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है। प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयाविध में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

01. ए.बी. पाराशर अधिवक्ता (सदस्य)

(पंकज शर्मा)
02. राकेश चन्द्र गुप्ता अधिवक्ता (सदस्य) <u>पीठासीन अधिकारी लोक अदालत</u> जिला भिण्ड